

संख्या-2/15/2008-स्था.(वेतन-11)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 23 जून, 2008.

कार्यालय जापन


विषय: प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि में विस्तार - ऐसे प्रस्तावों को भेजते समय ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतिनियुक्ति/विदेशसेवा की अवधि को बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हो रहे हैं । यह देखा गया है कि प्राप्त होने वाले ऐसे कई प्रस्तावों में दस्तावेज/सूचनाएं अधूरी होती हैं जो कि इस विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के का.जा. सं. 2/29/91-स्था.(वेतन.11) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित हैं । इसके परिणामस्वरूप अनावश्यक पत्राचार और समय की बर्बादी होती है ।

2. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचना के साथ अग्रेषित किया जाए:-

- (i) किस वर्ष के लिए विस्तार/वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है ।
- (ii) प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।
- (iii) क्या प्रस्ताव, बढ़ाए गए कार्यकाल के समाप्त होने के कम-से-कम तीन माह पूर्व भेजा गया है, यदि नहीं तो उसके कारण बताए जाएं । यह भी कि क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 नवम्बर, 2006 के कार्यालय जापन सं. 14017/30/2006-स्था.(आर.आर.) में निर्धारित किए गए प्रावधान, प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारी के नोटिस में लाए गए हैं ।

- (iv) संवर्ग बाह्य पद की भर्ती नियमावली में निर्धारित प्रतिनियुक्ति अवधि की सामान्य अवधि तथा उसके साथ भर्ती नियमावली की प्रति ।
 - (v) संघ लोक सेवा आयोग/मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन यदि अपेक्षित है ।
 - (vi) क्या सम्बन्धित अधिकारी को अपने मूल संवर्ग में उच्चतर वेतनमान में एन.बी.आर. नियम के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति की अनुमति दी गई है ।
 - (vii) अपेक्षित परीक्षण सूची, सभी कॉलम विधिवत् भरे हुए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ।
 - (viii) मूल कार्यालय से एन.ओ.सी. तथा सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति ।
 - (ix) प्रस्तावित सेवा-विस्तार में निहित निर्दिष्ट लोकहित ।
 - (x) विदेश सेवा में विस्तार के मामलों में (केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों/स्वायत्त निकायों आदि में प्रतिनियुक्ति) यदि ऐसी सेवा की अनुमति तात्कालिक संविलयन की शर्तों के आधार पर नियुक्ति की रियायत देते हुए दी गई है तो ऐसी ढील से सम्बन्धित संगत आदेश ।
 - (xi) यदि इस विभाग ने इस मामले में पहले के अवसरों पर सेवा-विस्तार की अनुमति दी गई है तो उसके संगत कागजात/फाइल (फाइलें) ।
 - (xii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए अवलोकनों के सम्बन्ध में प्रेषण करने हेतु मंत्रालय/विभाग की टिप्पणियां, यदि कोई हैं ।
3. अधूरे प्रस्ताव, इस विभाग में विचार किए बिना ही लौटा दिए जाएंगे ।


(राजीव राय)
निदेशक (वेतन)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक-सूची के अनुसार ।

प्रतिलिपि: एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को विभाग की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन सं. शीर्ष 'स्थापना' के अन्तर्गत उप शीर्ष - 'प्रतिनियुक्ति' में अपलोड करने के लिए ।

(100 अतिरिक्त प्रतियां)